संख्या:55/2021/1961जेएल/22-3-2021-800(2)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
मुरादाबाद ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनाक: 28 अक्टूबर, 2021*

विषय- जिला कारागार हरदोई में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अरशद पुत्र श्री राशिद, निवासी-पीपलसाना, थाना-भोजपुर, जनपद-मुरादाबाद को पत्नी के उपचार हेतु पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1797-98/जि0प्रो0का0/पैरोल/2021-22, दिनांक 25-16-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिला कारागार हरदोई में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अरशद पुत्र श्री राशिद, निवासी-पीपलसाना, थाना-भोजपुर, जनपद-मुरादाबाद को शासनादेश संख्या-49/2021/1515जेएल/22-3-2021-800(2)/2020, दिनांक 22-09-2021 के क्रम में एक **माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या:55/2021/1961जेएल(1)/22-3-2021-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद ।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, हरदोई ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in